Corporations (Surmlementary) Bill. 1964

fication for membership of Parliament and of the Legislature of every State for a period of six years counting from the date on •which the finding of the Election Tribunal as to such practice takes effect under this Act."

Warehousing

Therefore, Sir, where a person disqualified under section 7 of the Representation of the People Act has supposedly held an office of profit, he stands for election, he is elected and no objection is raised, v Therefore, that objection cannot be raised later. Whereas in this particular case, I appreciate . . .

SHRI LOKANATH MISRA: The Deputy Minister is quite wrong.

SHRI JAGANATH RAO: I am perfectly right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You may differ.

SHRI JAGANATH RAO: I am tpeaking with a full sense of responsibility and full knowledge of the law. In this case, I appreciate, if Mr. Brindavan Nayak whom my friend was referring to was continuing business with the Government, it was open to somebody to raise an objection egainst him at a later stage, whereas if this Brindavan Nayak in fact held tn office of profit at the time of standing for election, that objection could not have been taken subsequently because according to the Supreme Court, where disqualification existed at the time of election, it cannot be raised at the time of •lection later. Therefore, there is no question of disqualification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The question is:

"That the Bill, as amended, passed."

The motion was adopted.

#### THE WAREHOUSING CORPORA-TIONS (SUPPLEMENTARY) BILL, 1964

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI D. R. CHAVAN): Mr. Vice-Chairman, I

"That the Bill to supplement the provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) in the Chairf

Madam, the Central and State Warehousing Corporations have been established under the Warehousing Corporations Act, 1962. This Act empowers the Corporations to accept for storage in their warehouses agricultural produce and notified commodities. The definition of 'agricultural produce' and 'notified commodities' has been given in the parent Act, in clause 2, sub-clauses (a) and (e). Sub-clause (a) states—

- "(a) 'agricultural produce' means any of the following classes of commodities, namely:-
  - (i) foodstuffs, including elible oilseeds;
  - (ii) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates;
  - (iii) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed;
    - (iv) raw jute; and
    - (v) vegetable oils;".

So far as the notified commodities are concerned, the definition is-

"(e) 'notified commodity' means any commodity (other than agricultural produce ( which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a notified commodity for the purposes of this Act, being a commodity

with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 in List III in the Seventh Schedule to the Constitution;"

Warehousing

So, under the provisions o'f the present Act, these commodities could be offered and storage facilities could be provided in the warehouses of both the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations. And so far as agricultural produce is concerned, there are as many as 99 commodities and so far as notified commodities are concerned, there are as many as eight commodities; the total number of commodities would be 107. But, Madam, there have been persistent demands from ihe Governments and various private organisations for the storage of other commodities in the warehouses such as tobacco, lac, wool, etc. which cannot be stored under the provisions of the existing Act as they 'fall outside the ambit of entry 33 of the Concurrent List in the Seventh Schedule. The Ministry of Agriculture and institutions like the Indian Council of Agricultural Research, the Central Lac Committee, and other Export Promotion Organisations have been pressing the Warehousing Corporations to come to the rescue of the producers and cultivators of these commodities who are entirely at the mercy of the middlemen who are usually agents of the foreign buyers. The inclusion o'f these commodities, therefore, is much more important from the point of view of the agrarian economy of the country. Further, provision of warehousing facilities for these commodities, particularly at the production centre and port towns, Would help the export promotion drive so vigorously being pursued by the nations these days.

The Warehousing Corporations Act, Madam Vice-Chairman, is related to entries 43 and 44 of the Union List and entry 33 of the Concurrent List of the Seventh Schedule of the Constitution. As far as trade and commerce are concerned, the legislative powers of Parliament are limited to commodities covered by entry 33 of the Concurrent List. It is not, therefore, within the competence of Parliament to vest the Warehousing Corporations to undertake the storage of articles such as tobacco, lac, wool, etc. as they fall outside the ambit of Entry 33 of the Concurrent List. These articles are relatable to entries 26 and 27 of the State List. Therefore, storage facilities so far as these articles are concerned cannot be given. Now the question before the House to consider is how to remove

this restriction?

Corporations Supplementary) Bill, 1964

Madam, this restriction can be removed if the State Legislatures pass appropriate resolutions in the manner prescribed in article 253 of the Constitution empowering Parliament to regulate by law the storage of commodities other than those covered by the Warehousing Corporations established under the Warehousing Corporations Act of 1962. Parliament would then prescribe, by legislation, what other commodities can be stored in the Central and State warehouses. For the information of the hon, Members I would read out article 252 of the Constitution which gives power to Parliament to makp law with respect to these commodities which, as a matter of fact, tall within the State List. Article 252 says:-

"(1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures o'f those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution

passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State.

Warehousing

(2) Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State."

Therefore, by resort to this article, Parliament could be empowered to make law with regard to these commodities. All that is necessary is that Parliament should be empowered to regulate storage of commodities other than those in the Concurrent List.

Now, Madam, what would be the effect of the legislation sought to be passed by this Bill which is before Parliament. And what would be the effect if it is enacted as law in respect of such States as have passed a resolution. Clause 2 of the Bill says: -

"The Warehousing Corporations Act, 1962, shall, in its application to the States for the time being specified in the Schedule, have effect as if in clause (e) of section 2 of that Act the words and figures 'being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 in List III in the Seventh Schedule to the Constitution' had been omitted."

Therefore, Madam, it means that in respect of such States as have passed the resolutions, this clause of the Bill will have the effect of nullifying section 2(e) o'f the parent Act. I just now gave the definition with regard to "notified commodities" so far as they are concerned. In other words, the restriction, that the "notified commodity" should be a commodity falling within the "ambit of entry 33 in List III, Concurrent List, of the Seventh Schedule of the Constitution, will be removed. The Warehousing Corporations wiH then be enabled to

store any commodity wnich, falls outside the ambit of entry 33 in the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution, in the States which have adopted the resolution under article 252 of the Constitution after notification of such a commodity by the Central Government in the Gazette.

**Corporations** 

The Act can also be made applicable to other State. Certain States have passed this resolution and some of the States have not passed this resolution. But the Act can also be made applicable to other States by notification in the Gazette if they subsequently pass the necessary resolution. Ag just now stated, suppose some of the States have passed the necessary resolution and some of them have not. But subsequently those States which have not passed the resolution pass it. Then by notification in the Gazette this Act would be applicable in respect of those States also

As laid down in article 252 of fhe Constitution, Madam, Vice-Chairman, the State Legislatures will pass suitable resolution in the manner prescribed in the article to the effect that storage of commodities other than covered by the Warehousing Corporations Act, 1962 shall be regulated in those States by Parliament by law. The States of Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madras, Mysore, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan have passed the necessary resolution. Action in respect of other States of Bombay, Bihar and Madhya Pradesh is awaited. As more than 2 States have passed the requisite resolution. I request the hon'ble Members to suitably amend the relevant section of the Act by adopting the supplementary Bill before the House.

The question was proposed.

SHM M. RUTHNASWAMY (Madras): Madam Vice-Chairman, while going through this Bill for the extension of the kinds of produce that might be stored in the the Warehousing warehouses under Corporations Act, one finds that this extension of

#### [Shri M. Ruthnaswamy.]

the kinds of produce that might be stored in them is due to the fact that in recent years there has been a certain drop in the amount of food stocks stored in these warehouses. As a result of food stocks going down in the country, these warehouses have so much room so as to spare for produces other than agricultural. That is why this Bill being brought forward to find accommodation in these warehouses for these other kinds of goods just in order to find storage in these warehouses.

Warehousing

Now, Madam, what is the record of the warehouses set up under the Warehousing Corporations 1962? By the end of the year 1964 there were only 76 warehouses. According to this report of the Warehousing Corporation for the year 1963-64, the percentage ^of occupancy of, warehouses was 67 at the end of the year 1962-63, and it fell to 53 at the end of that year. Many warehouses were closed, as many as 38 in the course year 1963-64. Madras and of the U.P. have the largest number of warehouses closed down. The finances of the warehousing corporation also are not In the year 1963-64 very encouraging. there was a loss of Rs. 88,559, whereas in the previous year, in 1962-63, there was a profit of Rs. 2-5 lakhs. Now that is the record of the Warehousing Corporation. The question arises whether the provision of warehouses is properly and adequately by organised the Warehousing Corporation. One has the suspicion, reading the Report, that warehouses would have feared better under private enterprise than under a public corporation like that set up in 1962.

As everyone knows, Madam Vice-Chairman, the development of agriculture largely depends on the marketing facilities provided for agricultural produce. Now at least—every taluk town is a market and every taluk town at least-I do not speak of the minor market places where periodical fairs and markets are held-

every lalUK town must be provided with a proper warehouse, where the agricultural produce could be stored, and the warehouse must be so built that the agricultural and other produce would not be eaten up by rodents and insects. Why should not the Government—instead of entrusting this duty of providing warehouses in adequate numbers to the Central Warehousing Corporation-take upon themselves, either the Central Government or the State Government, especially the Food and Agriculture Department, why should it not take upon itself this duty of a sufficient providing number warehouses? Even in towns and cities like Madras and Madurai we find very inadequate provision for the storage of agricultural and other produce. One has only to visit the Kotwalchavadi in Madras city in order to find that it is in the same primitive condition in which it was when it was first established in the days of the East India Company. And so it is in most other towns. Thus it seems to me that, instead of entrusting this building, provision of enough number of warehouses for the storing of agricultural and other produce to some other agency, the Food and Agriculture Department would do well to take upon itself this duty, especially at a time when every grain of food has to be preserved. I think warehousing would have fared better under the direct patronage of the Food and Agriculture Department than giving it to a public corporation which takes its own leisurely time in providing the large number of warehouses that the country needs. one other point I should like to make is that in order to provide marketing facilities and in order to stimulate the building of warehouses-storehouses godowns and on-there should be an easy flow o'f communication between the agricultural fields, between the villages and the market towns, at least the taluk towns. It is largely on account of the inadequacy of our road mileage that the farmer is not able to carry his produce himself to the market or have it stored

and get the best price that he can get at the market. It is on account of the lack of village roads that he is so dependent upon the middle man that there is not that incentive \o agricultural productivity, about which the Food Minister and the general public complain. So you cannot build warehouses in sufficient numbers unless you have an adequate road system that will enable the farmer to carry his produce to the market, and I think it is the inadequacy of the roads that is largely responsible for the slow rate at which the warehouses are being built and maintained. If only the Food and Agriculture Department took into its own hands the building and the maintenance of these warehouses, we shall have better results than those shown in the latest report of the Central Warehousing Corporation. Therefore, although I have no objection to this Bill which provides for other than agricultural produce being stored in these warehouses, I would plead that if warehouses are not built in sufficient numbers, we cannot expect this beneficial result from the" Central Warehousing Corporation, but as a matter of food policy, the Food and Agriculture Department, both in the Centre and in the States, should take up this business and provide a sufficient number o'f warehousesstore-houses and godowns-where agricultural produce could be stored scientifically and be made available to the markets of the country.

Warehousing

DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA (West Bengal): Madam Vice-Chairman, at the outset I welcome the measure and I congratulate the Deputy Minister for having brought forward this Bill before this House. This Supplementary Bill is to expand the sphere of activity of the Warehousing Corporations and this Bill will help in the storing of tobacco, lac, wool, etc., which could not be stored under the existing provisions of the present Act on warehousing. The country earns crores of rupees worth of foreign exchange through tobacco and lac, but so far there was

no protection for tobacco-growers and lacproducers. This Bill will also be of great help to people who grow tobacco, lac, wool, etc. But I must point out, Madam, that there is a great deal of difference between passing a Bill and implementation and execution of the Bill. It will not be out of place, Madam, if 1 mention that there are a number of procedures which must be followed by the peasants in order to use the warehouses. I know and I agree that the procedures must be there. But the procedures must be easy for rmr peasants; they must be laid down in such a way that it is not difficult for the simple peasants of our country to understand and follow them. We all know that if a procedure is very complicated, it is very difficult for our simple peasants to go through all that procedure. I earnestly appeal, to the Deputy Minister that his Ministry along with all other appropriate Ministries should take all possible steps to see that these producers get all facilities to store their commodities in the warehouses. It is very necessary that all exportable commodities should be kept stored in the Central warehousing so that if would not be possible for the exporters to exploit-our poor and simple peasants. It is also very necessary to see that the peasants are easily enabled to keep their tobacco, lac, wool, etc. in the Central warehouses.

I would like to mention about another important point and that is about the warehousing itself. There are a number o'f warehouses in our country; some are directly under the Government of India, and some are under the State Governments. In view of our huge requirements of space for the storing of foodgrains and other commodities, we will no doubt require many more warehouses. It is said that something like 3 per cent of 4 per cent of foodgrains get wasted because of the lack of proper facilities for storage. I do not know whether this is true or *not*. But I think the hon. Deputy Minister will inform us of the facts. As far as I

[Dr. Shrimati Phulrenu Guha.] remember there was a question in this House and that was mentioned. I am also told that the Government allows a certain percentage of wastage in the foodgrains. If there is no proper warehousing, this allowance for wastage is capable of giving enough scope for malpractices. I would like the hon. Deputy Minister to give very careful consideration to this point. Apart from all this, when there is no proper storage facility, the country is bound to lose a considerable quantity of foodgrains which are always precious. Foodgrains are particularly precious now and we must try to see that foodgrains are not lost. I am sure all hon. friends will agree with me that all possible care should be taken to preserve every ounce of our foodgrains. It is true that warehouses" cannot "be waterproof and ratproof immediately. But I must say, Madam, that all possible care should be taken to see that our warehouses are water-proof and ratproof and also that these warehouses are constructed scientifically as soon as possible.

Warehousing

Madam, in this connection, I would like to point out that warehouses must be constructed on a war-footing. We should not go about doing it in a leisurely manner. These ware houses should be constructed scientifically, but at the same time they should also be constructed very quickly. I do not know it for a fact and I would like to know the position from the hon. Deputy Minister. There is a rumour that there is not enough cement for building warehouses. If "that is so, I would request the hon. Deputy Minister to see that enough cement is made available ior the construction of the warehouses, as soon as possible.

With these few observations, I support the Bill. Thank you, Madam.

SHKI M. N. GOVINDAN NAIR (Kerala): Madam Vice-Chairman, I also support this Bill. This Bill is meant to extend the "operation of the

Warehousing Corporations to commodities like tobacco, wool and lac. Now, there are certain constitutional difficulties which have to be got over and that is what is meant to be done by this Bill. As far as the activities of the Warehousing Corporation are concerned my hon. friend has pointed out that their full capacity has not been used, and not only that but that their use has declined. So in order to put in something else that is available, this Bill is brought in now. I do not agree with that view and it was rather unkind of him to have made that kind of a statement. All the same. the facts show that full capacities of the warehouses are not being used, and I feel it is high time that Government paid some attention to this fact. The former Act was called, I think, the National Cooperative Development Corporation Act and now there has been a bifurcation and you have got this Act here. Not only are the present warehouses not fully utilised, but if you examine the way in which they are used and by which section they are being used, you will find that 75 per cent of them are used by traders and only some 25 per cent of their capacity are used by the actual peasants. Why is that so? I feel that unless the peasant is helped through cooperatives, he will not be able to utilise these warehouses. That is to say, the ordinary peasant, even when the prices are low, has not the capacity to retain the stuff with him because he is in immediate need of some money. So if the cooperative "pays him, if not the whole price, at least some money, that will help him to retain his produce with him and to make full use of these warehousing facilities. Unfortunately you have bifurcated the functions in such a way that the cooperatives do not come into the purview of functions of the Warehousing Corporations. So I think it is time that we consider whether the cooperatives should not again be brought in, and you should do it if your intention is to help the actual growers.

My hon. friend Shri Ruthnaswamy said that under the Food and Agriculture Ministry there should be storehouses throughout the country in all the important marketing places and so on. That is true. But even that, I feel, will be much more to the benefit of the traders than to the benefit of the actual growers. So if your intention is to help the growers through the functioning of these Warehousing Corporations, the cooperative movement should be brought in. Otherwise during the last two or three years after seeing how things work, we have come to the conclusion that though some rich peasants might have utilised this facility, it has not helped the peasants " as" yet. So I think this question deserves serious consideration of the Ministry. That is my request.

Then as far as the question<sup>1</sup> of these three commodities is concerned, my feeling is this. Even though I support the Bill, I feel it is a belated measure. This was passed in Lok Sabha *in* 1964. 'Now it is nearly a year and we are discussing it here. This shows the attitude.

SHRI M. RUTHNASWAMY: The speed of the Government.

SHHI M. N. GOVINDAN NAIR: The attitude and the approach of the Ministry.

SHRI D. R. CHAVAN: Attitude?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Yes, your attitude, I mean. When you saw that certain State Legislatures had already passed the necessary legislation to strengthen your hands to move this Bill, you got it passed in the Lok Sabha nearly a year ago. After all, this is not a controversial measure. Within an hour or half an hour, if necessary, you could have got it passed through this House also. But why is it that you have taken so much time? That is because even though when speaking you say that it is very necessary and all that, you

624 RS—6.

have not really felt that way. I remember there was a time, some two or three years ago, or two years back, I think, when the price of tobacco was very low and actually the peasants and the small exporters found it very difficult. At that time they needed storage. But is that the position now? I do not know. If my information is correct, now because of the extension of trade to other countries, especially the East European countries, the price of tobacco has gone up and the pinch that the peasant felt some two years ago he may not be feeling now. That does not mean that you should not have it. That is not my point. But because of the lapse of time even though you are passing this Bill, the real benefit that should have gone to the peasant has not reached him. Now the Bill is being passed. If you are going to delay it, then you may have the satisfaction that you have on the Statute Book the necessary legislation but in actual practice, it may not go very much to help those whom you want to benefit. So I think the Government should take necessary steps to see that immediate steps are taken to implement these things.

Before I conclude, I again request you to consider the ways and means by which the actual peasant, who produces these articles, can benefit by this warehousing much more than the traders and the middlemen. I put in a suggestion whether you can again tack on the co-operative movement to this but I know you will reply that they can do it by themselves because there also some provision is made or some kind of help is given. If you combine these two and if it is worked together, then I think the peasant may be able to utilise it in a much bigger way than what he can do now. I think the Government should pay some attention and see how more peasants can be brought in as also how the full capacity of these warehouses can be utilised. With I these words, I support the Bill.

श्री देवकीनन्दन नायायण (महाराष्ट्र): सभानेत्री जी, मैं इस विघेयक का सहर्ष स्वागत करता हूं। यह वेयरहाउसिंग की जो योजना है, वह सिर्फ किसानों के ही हित की नहीं बल्कि जो व्यापारी हैं उनके भी हित की साबित हुई है।

ग्राज हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के 85 वेयर-हाउसेज हैं ग्रीर इन 85 वेयरहाउसेज के बनाने पर सरकार ने या किहए कारपोरेशन ने दो करोड़ रुपया खर्च किया है। इसके साथ ही सवा पांच सौ वेयरहाउसेज स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाये हैं। उनको भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कर्जा दिया था। करीब करीब बह भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मदद से बने हैं। इसके ग्रलावा कोग्रापरेटिव सोसायटीज के भी जगह-जगह पर वयर हाउसेज हैं। जहां तक मेरे जिले का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि मेरे जिले में कम से कम 200-250 वेयरहाउसेज कोग्रापरेटिव सोसायटीज ने बनाये हैं।

ये तमाम वियरहा उसेज जिस मतलब से बनाये गये थे, जिस उद्देश्य से बनाये गये थे, वह खासकर यही था कि हमारे किसानों को बेवक्त अपना माल बेच देना पड़ता है, वह बेचने की नौबत न ग्राने पाबे, व वेयर हाउसेज में रख दें ग्रीर वेयर हाउसेज में रखने के बाद उन्हें कुछ कर्ज मिल जाये ग्रीर उस कर्ज से व उस दिन तक ठहर सकें जब वे नफे से अपनी चीज को बेच सके। यही खास मतलब था, परन्तु सरकार का काम कुछ ऐसे ही चलता है। घर बनाये जाते हैं ग्रौर बाद में उन घरों में रहने वालों को ढंढने निकलते हैं । वेयर-हाउसेज बनाने से पहले वेयरहाउसेज की मांग किसानों में पैदा करनी थी, उसके सम्बन्ध में लोगों को समझाना था । परन्त् वयरहाउसेज बन गये ग्रीर कोई उनमें ग्रपना उत्पादन रखने के लिए, ग्रपनी चीजें रखने के लिए ग्रधिक ग्राये नहीं । हुग्रा क्या ? 1962 तक इन वैयरहाउसेज में किसानों ने सिर्फ 7 परसेंट माल रखा, यानी 2,57,000 टन की क़ैपेसिटी वाले इन 85 वेयरहाउसेज का सिर्फ 7 परसेंट उपयोग किसान कर सके । 16 परसेंट कोग्रापरेटिव सोसायटीज ने किया और बाकी 22 परसेंट सब व्यापारियों ने किया । ग्रव, कारपोरेशन के भाग्य से कहिये, फुड कारपोरेशन पैदा हो गया । तो अब फुड कारपोरेशन उसका उपयोग करने लिंगा है ग्रौर इसलिए--चुंकि गवर्नमेंट को भी बहुत सा ग्रन्न रखना पड़ता है- उसका उपयोग 75 परसट तक पहुंच चुका है, ग्रौर वह भी इस वर्ष से पहुंचा है जब उसका उपयोग हमारी गवर्नमेंट स्वयं कर रही है या फड कारपोरेशन कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनके लिए इनका निर्माण हुन्ना, वे किसान इनका उपयोग जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सके हैं ग्रौर इसका दोष मैं किसानों को थोड़ा बहुत देता हं, पर ग्रधिकतर सरकार को देता हं; क्योंकि सरकार को इस बात का प्रचार करना था, किसानों को समझाना था कि उनका इसमें कितना हित है, कितना लाभ है और उनको क्यों अपना माल. ग्रपना प्रोडक्शन, ग्रपना उत्पादन इसमें रखना चाहिए । किसानों को इससे बहत लाभ है; क्योंकि किराया भी बहत कम देना पडता है। मुझे पता है कि शहरों में ग्राढ़ितयों के यहां जब किसान कोई चीज रखता है तो उसे कितना खर्च ग्राता है, परन्तु यहां तो महीने के सिर्फ 18 पैसे पर बैग के पीछे देने पड़ते हैं। एक बैग एक क्विन्टल के बराबर होता है। यानी मन के पीछ 9-10 पैसे देने पडते हैं, बहुत सस्ता है। लेकिन सस्ता होने पर भी किसान इसका उपयोग नहीं करता है। इसका कारण यह है कि किसानों के कानों तक यह बात पहुंचती नहीं है कि उनको इसके सहारे कर्जा मिल सकता है। वेयरहाउस में जो चीज रखी जाती है उसकी रिसीट मिलती है। उस रिसीट को दिखा कर बक से कर्जा मिल सफता है 75 परसेंट तक । यह भी बड़ा लाभ है, लेकिन यह हो नहीं पाता. कारण किसानों के कानों तक यह बात

पहुंचती नहीं। फिर ब्याज में भी कमी है। बैंक या को ग्रापरेटिव बैंक या ग्रौर बैंकों से जो कर्जा मिलता है किसान को वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के वंयर हाउसेज में रखने की वजह से उस पर ब्याज एक से डेढ़ टका कम लिया जाता है।यानी ब्याज में भी मुनाफा होता है, किराये में मुनाफा होता है, माल भ्रच्छा रहता है, बक्त पर बेचा जा सकता है। यह सब होते हुए मेरी समझ में नहीं ग्राया कि उपयोग क्यों नहीं किया जाता ? वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन को भी एक बिजनेस प्रोपोजीशन समझना चाहिए और ग्राप देखिये 1964-65 में इस कारपोरेशन को 13,78,967 र० नुकसान हुआ । यह कृषि प्रधान देश है, यहां लाखों किसान हैं, लाखों मन गल्ला पैदा होता है, 108 चीजों को बेयरहाउसेज में रखने की इजाजत है फिर भी समझ में नहीं श्राया कि 1964-65 में यह नुकसान क्यों हुन्ना ? उससे पहले भी नकसान होता भ्राया है, जब से वेयरहाउसिंग कारपोरेशन खुली है, नुकसान होता ग्राया है ग्रीर ग्राखीर 1964-65 में यह करीब 14 लाख रुपये का नुकसान हुआ । इतना ही नही है, ग्रौर भी नुकसान है; क्योंकि वयरहार्जीसम कारपोरेशन के जो शेयरहोल्डसं हैं उनको गारैंटीड डिविडंड दिया जाता है, ग्रीर 1964-65 में सरकार ने कारपोरेशन को 15,26,573 रु कर्जा दे कर उस कर्जे में से डिविडेंड दिया, यानी यह भी नकसान में ही गिनना चाहिए । तो यह सब देखते हुए 1964-65 में करीब 29 लाख रुपया न्कसान है। मैं आप से पूछना चाहता हं कि कोई विजनेसमेन इस तरह न्कसान देने के लिए दुनिया में तैयार होगा? तो जिस वक्त हम बिजनेस की निगाह से कारपोरेशन का निर्माण करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह नुकसान में न पहुंचे।

ब्रब, इस विधेयक में कुछ स्टेट सरकारों ने प्रस्ताव पास कर के आप से प्रार्थना की है कि कुछ और चीजें भी वेयरहाउसेज में रखने

(Supplementary) Bill, 1964 की इजाजत दी जाये। धाज तो उन्हान तीन चीजों का ही यहां उल्लेख किया है परन्तु अधिक चीर्जे भी आप की इजाजत से ली जा सकती हैं। बहुत भ्रच्छी बात है, परन्तु इससे यह भी साबित होता है कि ग्राज तक 108 चीजों रखने की जो इजाजत थी उससे काम नहीं चला और इसलिए यह विधेयक यहां लाना पड़ा। ग्रब बहत सी चीओं रखने की इजाजात मिल जायेगी। ग्राज जो इजाजात दी जा रही है वह तीन चीजों को दी जा रही है। वे हैं लाख, ऊन ग्रीर तम्बाकु। मुझे लाख के बारे में कहना है। लाख जंगलों में पैदा होती है ग्रीर ग्रधिकतर लाख इकटठा करने का काम द्यादिम जाति के लोग गिरिजन करते हैं। मैंने स्वयं रांची जिले में, बिहार में, देखा है कि बचारे गरीब नंगे गिरिजन पहाडों में से, जंगलों में से लाख इकट्टा करके लाते हैं, बाजार में रख देते हैं, कलकत्ते के छोटे बड़े व्यापारी ब्राते हैं ब्रौर उन से बहुत सस्ते भाव पर ले जाते हैं। लाख के व्यापारी जितना पैसा कमाते हैं उतना शायद ही और किसी चीज में कमाते हों, मुझे पता नहीं: क्योंकि उसका कारण सब से पहला यह है कि जो पिछडे लोग हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, जो पढ़े-लिखे नहीं, जो जंगल में रहते हैं, जो ग्राज की सभ्यता से बहत दूर हैं, वे बेचारे गरीब अनपढ़ लोग इस काम को करते हैं। तो सब से पहली जरूरत यह है कि जो गिरिजन इस काम को करते हैं उनकी कोग्रापरेटिव सोसाइटीज बनाई जाये। कोम्रापरेटिव सोसाइटीज बन जायेगी तो उन गिरिजनों का माल वेयरहाउसेज में रखा जा सकता है, नहीं तो फिर उन गिरिजनों से खरीदने वाले मारवाडियों का ही माल रखा जायेगा ग्रीर इससे उन्हें ही फायदा मिलेगा। तो जब ग्राप लाख को रखने की इजाजत दे रहे हैं तब मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जो गिरिजन इस काम को करते हैं उनकी कोद्यापरेटिव सोसाइटीज जरूर बनाई जायें और उनको व्यापारियों और साहकारों से बचाया जाये । इससे लाख का उत्पादन भी

Corporations

Corporations (Supplementary) Bill, 1964

[श्री देवकीनंदन नारायण] बढ़ सकता है। लाख एक्सपोर्ट भी होता है। ग्राज हमारा लाख का उत्पादन 41,672 टन है और यह दूना भी हो सकता है। गिरिजन ही इस काम को कर सकते हैं ग्रीर उन गरीबों को इससे रोजगार मिलता है। तो मैं ग्राप से प्रार्थना करूंगा कि इस ग्रोर ग्रधिक प्र्यान दिया जाये ग्रौर कम्यनिटी डेवलपमेंट वालों से कहा जाये कि वहां जा कर कोग्रापरेटिव सोसाइटियां खोलें और इन लोगों की मदद करें। लाख खास कर बिहार में, मध्य प्रदेश में ग्रौर बंगाल में पैदा होता है जहां कि जंगल भीर पहाड ज्यादा है।

Warehousing

इसके बाद ग्राप ऊन को इलाजत दे रहै हैं। ऊन हमारे देश में अधिकतर राजस्थान में पैदा होता है। दु:ख की बात है कि ग्राज हम लोगों को हिन्द्स्तान में ऊन की कम जरूरत हो, यह बात नहीं है, तब भी राजस्थान में पैदा होने वाली ऊन का 60 परसेंट बाहर भेजा जाता है। यह बाहर भेजना भी रोका जा सकता है; क्योंकि हमें ऊन की बहत जरूरत है परन्तु वहां भी वही होता है कि जो लोग ऊन इकट्टा करते हैं, जो भेड़ें रखते हैं, भेड़ के ऊन निकालते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि बह उसे जमा कर के बचने से रोक सकें, उनसे वही छ डे-पोर्ड ज्यापारी ले लेते हैं और उसको बाहर भेजते हैं श्रीर मुनाफा कमाते हैं। इन लोगों की भी कोग्रापरेटिव सोसाइ-टीज बननी चाहिएं, तब तो वेयरहाउसेज से जो फायदा देने वाले हैं वह फायदा गरीब लोग ले सकंगे, नहीं तो यह लाभ धनवानों को ही मिलने वाला है।

### (Time bell rings.)

दो मिनट । तो मेरा कहना यह है कि ऊन को लीजिये या लाख को लीजिये, बहुत अच्छी सुविधा श्राप दे रहे हैं, परन्तू इस स्विधा का फायदा वह तभी ले सकते हैं जब धाप उनको तैयार करेंगे, उनको जा कर समझायेंगे, उनको बतायेंगे । नहीं तो आप के वेयरहाउसेज ग्रपनी जगह पर रह जायेंगे

ग्रीर गरीब जनता, जिनके लिए ग्राप यह सब कर रहे हैं, वे ग्रपने घर में ही रह जायेंगे।

तम्बाक के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता ।

श्री ए० डी० मणि (मध्य प्रदेश) : वयों ?

. श्री देवकीनंदन नारायण : तम्बाक् का व्यापार करने वाले जो हैं. वे इतने धनाढ्य हैं कि ग्रापकी मदद की कोई खास जरूरत महसुस नहीं करते । बड़े बड़े कारखाने वाले

श्री ए० डी० मणि : किसने कहा ऐसा ?

श्री देवकीनंदन नारायण : मुझे मालूम है। ग्राप शायद गुजरात में गये हैं या नहीं, मझे पता नहीं, ग्राप ग्रांध्र गये हैं या नहीं, मुझे पता नहीं, जहां लाखों करोड़ों का इनका व्यापार होता है। (Time bell rings.)

मझे ग्राखीर में ग्रौर दो मुचनाएं करनी हैं ग्रपने मंत्री महाशय को । एक यह है कि ग्राप ने ग्राज जो गोडाउंस ग्रीर वेयरहाउसेज बनाये हैं वे बहत बड़े बना दिये हैं। श्रब धारो जो बनाने हों इतने बड़ न बनावें छोटे-छोटे बनायें ताकि उनमें कछ खास चीजें रखी जा सकें। उसमें ग्राप डिफरेंस कर सकें। छोटे गोडाउन्स लोगों के लिए ग्रधिक उपयोगी होंगे। कई चीजों एकव गोडाउन में रखी जाती हैं तो लोगों को रखने में भी शक पैदा होता है इसलिए छोटे गोडा उंस बनायें जिससे कि ग्राम लोग उसका उपयोग कर सकें।

दूसरी सिफारिश यह करनी है कि ग्राप के जो गोडाउन कीपर्स हैं उनको शिक्षा दीजिये. उनको ट्रेन कीजिये । वह यह जानें कि किन कारणों से कौन चीज खराब हो सकती है, किस कारण बिगड सकती है ग्रौर किस तरह से सम्हाली जा सकती है जिससे कि कोई नकसान नहीं हो सके । उनको ट्रेन कीजिये उनके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. इस सम्बन्ध में उनकी शिक्षा के लिए प्रबन्ध होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं ग्राप के इस विधेयक का स्वागत करता हं भौर ग्राशा करता हं कि जिनके लिए ग्राप यह विधेयक लाये हैं वे जरूर इससे फायदा उठायेंगे ।

Warehousing

SHRIMATI NANDINI SATPATHY (Orissa): Vice-Chairman, I rise to support this Bill wholeheartedly. Though the scope of this Bill is very limited I believe that it is for the actual good of the growers and producers of tMs country. In fact I feel that this Bill should have been brought forward much earlier. As has been mentioned by the hon. Deputy Minister the Warehousing Corporation established under this measure will undertake the storage of certain goon's such as tobacco, lac, mica, etc which are important exportable goods. Madam, I think by this Bill we would be saving the poor and innocent producers from the exploitation of the exporters. As has already been said by the hon. Deputy Minister it is for the States to pass the requisite Resolution so that this measure could be properly executed. Some of the already passed such States have Resolutions and some more are yet to pass As soon as the States pass such Resolutions I think it will be in the interest of the growers and producers ofcountry.

Madam, it has been said by my hon. friend just now that the peasants of this country are not aware of the measures that are passed for their benefit. We have got big secretariats in the Centre as well as in the States for the Food and Agriculture Departments. We are also having many agricultural colleges from where hundreds of students are passing out every year. We have got our Community Development projects and our Gram Sevaks. But, alas, the measures that we are taking for the benefit of our peasants about whom we are talking so much are not even taken to their ears and actually they are not benefited by them.

Though this Bill is meant for nonagricultural products I want to speak a few words on warehouses in general. As we all know, the number of warehouses that we have for storing foodgrains Is not sufficient to meet the needs of our country. Moreover there is always a complaint that due to bad storage there is a huge waste of foodgrain!. I do not know the correct position but we were told many times that thousands of tons of rice have been wasted due to bad storage in many places. Madam, when the food situation in the country is causing so much concern, I would like to request the Food Minister to take serious steps to see that the foodgrains are not wasted in this manner. At least the warehouses should be built in a much more scientific manner to save the foodgrains from rats, water and such other things.

Another point which I would like to mention here is about the wastage that is allowed by Government in certain matters. We know that even in foodstuffs a certain percentage of adulteration is allowed and I think this leads to corruption. Even one kilo per 10,000 kilos is not very less if it is to be calculated as wastage. So I would request that some sort of modification should be made in this rule.

With these words I support this Bill.

श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स (सप्लीमेंटरी) बिल हाउस में लाया गया है इसका मैं समधंन करता हं। बिल को पढ़ने से मालम पहता है कि जिन राज्यों ने ग्रपने यहां प्रस्ताव पारित किये उनके लिये यह बिल यहां पर लाया गया है। वे राज्य हैं: ग्रान्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश ।

Corporations (Supplementary) Bill, 1964

[थी रामेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर] इस विधेयक में यह भी प्राविधान है कि जो राज्य धपने यहां इसी प्रकार का प्रस्ताव पास करेंगे उनके लिये भी केन्द्रीय शासन नोटि-फिकेशन द्वारा यह बिल लाग करेगा । लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कि उन राज्यों ने यह प्रस्ताव पास किया है तो क्या कारण है कि आसाम विहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैस्र, उड़ीसा और राजस्थान मादि राज्यों ने माज तक यह प्रस्ताव पास नहीं किया ?

Warehousing

SHRI D. R. CHAVAN: Rajasthan has passed it.

श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर : Rajasthan has passed it. खेर, राजस्थान को छोड कर इन बाकी राज्यों ने क्यों नहीं पास किया ? क्या वे इसको उपयोगी नहीं समझते हैं या केन्द्रीय शासन ने उनको इस प्रकार का ग्रादेश क्यों नहीं दिया कि धाप सपने यहां इस प्रकार का प्रस्ताव पास करें ताकि देश में इस सम्बन्ध में एक प्रकार का काम किया जा सके ? जब कि केन्द्रीय शासन करा जरा सी बात के लिये राज्य सरकारों को भादेण देता है और जो पार्टी या जो सत्ता यहां पर केन्द्र में है वह आज करीब करीब सब राज्यों में है तब कौन सी ऐसी कठिनाइयां धाई कि उन्होंने इस प्रकार का ब्रादेश उन राज्यों को नहीं भेजा ग्रौर उसके ऊपर उन्होंने ग्रमल नहीं किया, ताकि यह विल इतने खाद्यात्र के संकट में जो इतना ग्रावश्यक समझा जा रहा है वह उन्होंने पास कर लिया होता ? इसलिये मैं यह च हंगा कि केन्द्रीय शासन इसकी ग्रोर ध्यान दे ग्रीर जिन राज्यों ने सभी तक इस प्रकार का प्रस्ताव पास नहीं किया है उनको मजबर करे, उनसे निवेदन करे, कि वे अपने यहां ऐसा प्रस्ताव पास करें और इस बिल की जो धाराएं हैं उनके लिये लाग् की जायें।

ग्रभी जो बहस इस सदन में हुई उसमें अधिकां सदस्यों ने यह कहा कि जो वेयर-

हाउसेज भ्राज इस देश में विद्यमान हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह बात सही है कि वेयरहाउसेज इसलिये बनाये गये थे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अधिकांश लोग गरीब होने से अपना जो माल है उसको उन्हें जल्दी फरोस्त करना पडता है, उसको वे ग्रपने पास रख नहीं सकते हैं और परिणाम यह होता है कि उनको जितनी कीमत मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती। अगर इस तरह की वेयरहाउसेज की सुविधा उनको मिले तो जब भाव ग्रच्छे हों तब वे वहां से निकाल कर बेच सकें। लेकिन धनभव यह हो रहा है, और अधिकांश सदस्यों ने इस बारे में कहा. कि जिन लोगों के लिये वेयरहाउसेज वने उनके द्वारा उनका उपयोग नहीं होता है और जो धनी लोग हैं, जो अपने यहां खद माल रख सकते हैं, वे फायदा उठा लेते हैं और गरीब किसान को अपना माल फौरन वेचना पडता है। जैसा कि माननीय सदस्य ते ग्रामी कहा, उनको शिक्षण नहीं दिया गया है कि इस प्रकार के वेसरहाउसेज का उपयोग कैसे किया जायेगा । तो मैं चाहंगा कि इस सम्बन्ध में भी सरकार सतक हो श्रीर वेयरहाउसेज जिनके लिये बने हैं वे ही उनका उपयोग कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था शासन करे।

महोदया, मुझे कुछ क्षेत्रों में जाने का ग्रवसर कुछ दिन पहले हुआ था। उस वक्त मैंने जो बेयरहाउसेज की स्थिति महाराष्ट्र में स्नीर मध्य प्रदेश में देखी वह बड़ी दयनीय देखी श्रीर मझे कई शिकायतें मिली और इसके संबंध में जो पूर्व के खाद्य मंत्री थे, सरदार स्वर्ण सिंह, उनकी एक पत्र लिखा था, जिसके ग्राधार पर एक कमेटी बैठाई गई ग्रीर कई बेयर-हाउसेज जो महाराष्ट में थे वे बंद किये गये और उसके बारे में काफी सुधार किये गए । हम्रा यह कि जहां पर वेयरहाउसेज की आवश्यकता है वहां पर वे बनाए नहीं गए, जहां बिलकुल भागप्रकता नहीं

यो वहां बना दिये गये; क्योंकि उसमें कुछ इन्टरेस्टेड लोग होंगे, वेस्टेड इन्टेरेस्ट होंगे। तो उन के लिए वहां पर बनाए गए । परिणाम यह हम्रा कि---भ्रोर मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट दियाथा लेकिन मेरे पास वह नहीं है नहीं तो मैं साबित करता कि खास कर बरार में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसी जगह वैयरहाउसेज बनाए गए जहां माल बिलकल नहीं पैदा होता है, और जहां माल बहुत पैदा होता है वहां वेयरहाउसेज नहीं थे भ्रोर जहां बैयरहाउसेज थे वहां उनको पूरी कैंपेसिटी में इस्तेमाल नहीं किया गया ग्रीर मालम यह पड़ा कि कुछ सरकारी अधिकारी भौर धनी लोग जिस जगह इन्टरेस्टेड थे वहा पर वेयरहाउसेज बनाए गए । तो मैं चाहंगा कि इस प्रकार से धन का दुरुपयोग नहीं हो और जहां वस्तुत: भावश्यक है वहां पर ही वेयरहाउसेज बनने चाहियें । दूसरी वात जो मैंने देखो, कुछ अपवाद का छाड़ कर, वह यह है कि अधिकांश वैयरहाउसेज शहरों में बने हुए हैं या शहर के पास बने हुए हैं। ग्राप जानते हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोग देहातों में रहते हैं, देहातों में ही अधिकांश माल पैदा होता है तो वहां पर वेयरहाउसेज बनना बहुत ग्रावश्यक है लेकिन मैं नहीं समझता कि बाज भी ऐसे वैयरहाउसेन देहातों में बने होंगे । वे गहरां हैं ग्रोर उनके ग्रास्तास बने हेए हैं ग्रीर यही कारण है कि उनका उपयोग काश्तकार नहीं कर सकते हैं; क्योंकि उसको स्रपना माल शहर में ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि जितने भी वेयरहाउसेज बनें, वे गांवों में ही बनाये जाने चाहियें।

ग्रमी श्री रत्न स्वामी जी ने वैयर-हाउसेन के बारे में श्रनेक रिपोर्टी का

हवाला दिया और कहा कि उनका पूरी कैपेसिटी के साथ उपयाग नहीं किया जा रहा है । मुझे बहुत ग्राश्चर्य के साथ कहना पडता है कि हमारे देश में इतना उत्पादन होता है फिर भी वेयरहाउसेज का उपयोग नहीं किया जाता है। जितनी हमारे देश की जनसंख्या है, जितना हमारा उत्पादन होता है भीर जितने वेयरहाउसेज बने हुए हैं, उनको देख कर यह कहना पड़ता है कि अभी हमारे देश में इनकी बहुत कमी है। इन वेयरहाउसेज का हमारे देश में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस तरह की जो स्थिति है, वह श्रच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहंगा इस ग्रोर ग्रवश्य ध्यान सरकार देगी।

भंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने इस संबंध में जो जो सुझाव दिये हैं, उनके ऊपर शासन अवश्य गौर करेगा । जो राज्य अब तक इस कारपोरेशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे कहा जायेगा कि वे भी अपने यहां इस तरह का प्रस्ताव पास करें और इसका उपयोग करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बाबा साहेब सावतेकर (महाक् राष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं श्रीर श्रपनी सरकार के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं श्रीर मैं उम्मीद करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर जरूर विचार करेगी।

वेयरहाउसेज कारपोरेशन जिस मकसद के लिए बनाया गया था वह मकसद इस समय नहीं चल रहा है और वह खासतीर पर किसानों के फायदे के लिए ही बनाया गया था, न जैसा कि हमारे मिळ श्री देवकीनंदन नारायण जी

# श्री बाबा साहेव सावनेकर]

Warehousing

ने बतलाया कि इस बारे में किसानों को बत जाया तक नहीं गया, इसके बारे में काई प्रचार तक नहीं किया गया कि यह किसानों के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, यह जो चीज बनाई जा रही है उससे किसानों को फ़ायदा होगा । मेरा यह निवेदन है कि सरकार का इस बारे में यह फर्ज था कि वह किसानों को जो उनके फायदे की चीज है, उसके बारे में जाकर बतलाये ग्रौर उसको इन वेयर-हाउसेज में माल लाने को उत्साहित करे।

मैं भापके सामने मराठवाडा की बात रखना चाहता हुं। वहां पर कपास काफी पैदा होता है श्रीर वहां पर जो भी वेयरहाउसेज बनाये जा रहे हैं वे ग्रक्सर शहरों में ही बनाये गये हैं। इसका नतीजा यह होता है कि देहात में जो नोग रहते हैं वे इससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। जैसा कि ग्रभी हमारे मिल्र ने कहा कि सरकारी लोग और व्यापारी बोनों मिल कर सलाह करते हैं श्रीर भ्रपनी खुदगरज की जगह पर इस तरह वेयरहाउसेज बनाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि वह किसानों के फायदे के लिए देहातों में इस तरह के वेयर हाउसेज बनाये ।

भ्राप सब लोग जानते हैं कि जिस वक्त ग्रनाज कपास की पैदावार होती है उस वक्त व्यापारी वर्ग चीजों के दाम नीचे गिरा देता है श्रीर इस तरह से किसानों को ग्रपनी चीजों के ग्रच्छे भाव नहीं मिलते हैं । किसान ग्रपनी जरूरत के लिहाज से अपना माल बचता है और उस समय बेचने पर उसको नुकसान होता 🕏 । लेकिन वेयरहाउसेज का मतलब यह है कि बहु अपना माल जब तैयार हो जाता है वहां रख सकता है और तीन चार महीने बाद जब कि दाम ठीक होते हैं तब बेच सकता है। इस तरह से उसको ग्रपना खर्चा चलाने के लिए वहां माल रखने से अपने माल का 75 प्रतिशत दाम मिल जाते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि इन वेयरहाउसेज का सही तौर पर इस्तेमाल किसानों द्वारा नहीं किया गया और न छोटे छोटे काश्त-कारों को ही इसका फायदा मिला।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हं कि वैयर हाउसेज में जो माल रखा जाता है उसकी हिफाजत ग्रच्छी तरह से होनी चाहिये ग्रीर वहां पर माल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिये। यह देखने में ग्राया कि वहां पर माल रखने के लिए जो भाड़ा लिया जाता है वह तो कम दिखलाते हैं ग्रीर नकसान के ग्रांकड़े ज्यादा बतलाये जाते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की धोर खासतीर पर ध्यान देंगे । जहां भी वेयर-हाउसेज हों उनकी बिल्डिंग काफी पहता होनी चाहिये और वहां पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे चहों या दूसरे कीड़े-मकौड़ों द्वारा चीज को नुकसान न पहुंचे ।

जहां भी वेयरहाउसेज बनाये जायें वहां गरीबों को इस बारे में प्रायरिटी दी जानी चाहिये ग्रीर उनके माल को ज्यादा लेने की कोशिश की जानी चाहिये। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हं कि 70 या 80 प्रतिशत माल किसानों का लेने के बाद जो जगह बच जाती है व्यापारियों को माल रखने के लिए दी जानी चाहिये।

भाप देखते हैं कि जिस वक्त माल तैयार होता है उस वक्त किसान वेचारा

लाचार होकर ग्रपना माल बेचता है ग्रीर जिस बक्त किसान को माल लेना पड़ता है उस वक्त उसको तिगुना ग्रीर चौगुना दाम देना पडता है । वेयरहाउसेज जो बनाये गये हैं उनका मकसद यह है कि किसानों को इनके द्वारा फायदा पहुंचे, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसान इससे फायदा नहीं उठा रहे हैं तथा सरकार का जो मकसद था वह भी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिए वेयरहाउसेज बनाये गये हैं ग्रीर ग्राज जिन श्रीर चीजों को इस बिल के तहत लाना चाहते हैं उसका मैं स्वागत करता हं। लेकिन मैं कहना चाहता है कि खेती के उत्पादन की जितनी चीजें हैं वह इसके अन्तर्गत स्नानी चाहियें। गुड़ को इसमें रखा गया है या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें म्गफली मिर्ची, जो कि हमारे यहां बहुत पैरा होती है तथा खेती की जितनी भी चीजें होती हैं उनको इसमें रखा जाना चाहिये। देहातों में किसान श्रपने खेतों में जो कुछ पैदा करते हैं उनको इसमें रखा जाना चाहिये, ताकि उनको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इतना कह कर में ग्रपना भाषण समाप्त करता हं।

Warehousing

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तृत है, वह 1961 में बना था। सन् 1962 में इसमें काफी परिवर्तन किया गया था ग्रौर ग्राज फिर यह परिवर्तन के लिए आया हुआ है। जहां तक इस बिल का संबंध है ग्रीर हमारी सरकार का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हुं कि उसके इरादे बड़े नेक हैं ग्रौर हमारे काश्तकार वेयरहाउसेज के ग्रभाव के कारण ग्रपना माल सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ग्रपना माल मजबूर होकर बाजार में बेचना पड़ता है। उस समय उनको ग्रपना माल बेचने पर दाम कम मिलते हैं। वेयरहाउसेज बनाने का भभिप्राय यह है कि किसान ग्रपना उत्पादन किया हम्रा सामान इसमें रखे, ताकि उसको बाद में ग्रपनी चीज के ग्रच्छे दाम मिल सकें। इस तरह का जो इरादा हमारी सरकार का है वह बहुत नेक है, लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है और पूरा हो पायेगा कि नहीं, इसमें शंका है।

हमें जो किताब दी गई है उससे स्पष्ट मालुम होता है कि कितने प्रतिशत किसानों ने ग्रपना सामान इन वेयरहाउसेज में रखा और उसके श्रांकडे इस प्रकार हैं : सहकार समितियों ने 4.05 परसेंट माल रखा, उत्पादकों ने 10.21 परसेंट, व्यापारियों ने 70.63 परसेंट ग्रीर सरकार के लोगों ने 8.11 परसेंट। इन म्रांकड़ों से तो ऐसा लगता है कि व्यापारियों ने ही ग्रपना माल इन वेयर-हाउसेज में ज्यादा रखा श्रीर उन्हें ही इससे ज्यादा लाभ हुआ । लेकिन हमारी सरकार हर साल प्राफिट एंड लास एकाउन्ट के हिसाब में 88.551 रुपया घाटे में रही ग्रौर 6,12, 172 रुपये उसको रेवन्य एकाउन्ट के हिसाब में डेफिसिट होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हं कि हमारी सरकार ने, हमारी पालियामेंट ने, क्या यह वेयरहाउसेज कारपोरेशन इसीलिए बनाया था कि इतना रुपये का घाटा हो भीर व्यापारी उससे फायदा उठायें? क्या हमने इसके लिए बड़े बड़े ग्रधि-कारियों की जो नियुक्ति की थी, वह सिर्फ इसलिए की थी कि वे छोटे किसानों को फायदा न पहुंचायें ग्रौर इतने रुपये का घाटा व्यापारियों के निमित्त उठायें ? जिन व्यापारियों को हमारी सरकार गाली देते हुए नहीं थकती है, उन व्यापारियों को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने इतने रूपये का घाटा उठाया, क्या यह

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौहड़िया] न्यायसंगत बात कही जा सकती है ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धापको इस बारे में देखना होगा कि सरकार ने कहां कहां पर गलती की है। धापका इरादा इस बारे में जो था वह परा नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में उसको पूरी तरह से छानबीन करनी बाहिये । भाप अपनी ग्रव्यवस्था को तो नहीं देखते हैं, लेकिन व्यापारियों के साथ कम्पीट करना चाहते हैं । अगर आप उनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हीं की तरह का एप्रोच भी रखना पहेगा । जिस तरह से व्यापारी काम्तकारों के काम आते हैं, उसी तरह से धापको भी करना पड़ेगा। आप चाहे वेयरहाउसेज कारपोरेशन को कितने ही अधिकार क्यों न दें, चाहे कितना ही रूपया क्यों न दें, भाप इस तरह की नीति से व्यापारियों सै कम्पीट कर नहीं सकते हैं। श्री रतन-स्वामी जी ने इस बारे में बहुत से आंकड दिये भीर मैं उनको दहराना नहीं चाहता हं। ये सब बातें इस बात की परिचायक हैं कि जिस व्यवस्था से ग्राप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने में ग्राप सफल रहे। ग्रव स्वयं ग्राप भपनी जांच करिये कि क्या स्थिति है। मेरे मत से तो इसको अगर देखा जाये तो सब से पहले जो काश्तकार को वेयर-हाउसेज में माल रखने के लिये सुविधा चाहिये, वह सुविधा ग्राप देने में ग्रसमर्थ हैं; क्योंकि आज अगर एक काश्तकार किसी ब्यापारी के यहां जाता है, तो ग्रगर रात को दो बजे भी पहुंचता है ग्रीर सेठ जी का दरवाजा खटखटा कर कहता है कि यह बैल रास्ते में पानी में गिर गया, इसका पहिया टट गया, इसलिये लेट हो गया, जरा संभालिये, तो वह रात को

दो वजे भी उठ कर उसको सुविधा देने को तथार होगा । मगर चंकि हमारे

कर्मचारी ऐसा कर नहीं सकते और हम

(Supplementary) Bill, 1964 उनको ऐसा करने के लिये मजबर कर भी नहीं सकते, इसलिये वह जो पहली सुविधा वे देते, उसमें हम फेल होते हैं। फिर माल आये तो हमारे यहां पर 10 से 5 बजे तक भीड़ भाड़ रहती है, काम का ग्राधिक्य रहता है ग्रीर कर्मचारी उस वक्त कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी कल्पना ग्राप ग्रच्छी तरह कर सकते हैं। फिर ध्राप के यहां पर माल डिपाजिट होने के बाद उसको रूपया चाहिये: क्योंकि उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा, सारी कठि-नाइयां उसके सामने हैं और यह आपका वेयरहाउसिंग कारपोरेशन उसको एडवांस करने बाला नहीं है उसकी रसीद पर । दूसरी द्यागनाइजेशन है जो उसको रूपया उधार देंगी जब कि वह किसी सेठ के यहां या किसी व्यापारी के यहां रात को दो बजे माल दे कर के ख्रोर सबेरे छ: बजे अपना रुपया ले कर, पोटली में बांध कर, रवाना भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रापके यहां पर माल रखने की कठिनाई. फिर माल रखने के बाद उस पर जो रूपया प्राप्त करने की व्यवस्था है कि उसको दूसरी जगह जाना पढ़े, यानी उसको लेने देने में उसके दो दिन पूरे हो जाये, तब कहीं उसका 75 परसेंट, 50 पर-सेंट. 20 परसेंट या जो भी रुपया चाहिये, वह वह प्राप्त कर सकता है, वह कठिनाई वहीं की वहीं है । तो इस कठिनाई को जब तक हम ठीक न करें, तब तक ग्राप यह समझें कि उनके कम्पेटिशन में उतर कर के हम काश्तकारों को ठीक राहत पहुंचा सकेंगे, यह गलत है भीर इसमें भ्राप सफल नहीं हो सकते।

Corporations

ग्रब जहां तक माल की सरक्षा का सवाल है, ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई स्थानों पर लीकेज की वजह से, चुहों की वजह से, ठीक तरह की व्यवस्था न रहने की वजह से. जितना माल सुरक्षित रहना चाहिये, वह रह नहीं पाता । फिर वहीं प्रश्न ब्राता है कि क्या

किया जाये । अगर हम व्यापार करना चाहते हैं, तो जब तक हमारा व्यापारिक ढंग का एप्रोच नहीं होता, हमारे काम करने वालों में वही उत्साह उत्पन्न नहीं होता, उसके कम्पेटिशन में ठहरने के लिये हम उतना य्रोतप्रोत नहीं होते, तब तक यह आप अपेक्षा करें कि काम्लकार धाप के वेयरहाउसेज का उपयोग करें, तो यह होने वाला नहीं है। ग्राप चाहे जितने वेयरहाउसेब बना दें, उनका उपयोग काम्तकार नहीं लेगा. बल्कि उनका उपयोग व्यापारी लेगा । जितना मापके यहां पर माल रखा गया है, उसमें 77 परसेंट माल उनका है । इससे ग्राप शन्दाज लगा लीजिये कि क्या यह हमारा दीवाला भाग व्यापारियों के लिये नहीं करना चाहते हैं ? धगर धाप से यह व्यवस्था नहीं हो सकती तो ग्राप प्रपत्ने वेयरहाउसेज बन्द करके उनमें ताले लगा दें। जहां पर उत्पादन केवल 10 प्रतिशत काम ले सकता है, वहां पर ग्राप यह समझें कि हम बहत बड़ा काम कर रहे हैं, यह कुछ न्यायसंगत तरीका नहीं कहा जा सकता है। इस दृष्टि से ग्राप को ग्रपनी सारी व्यवस्था पर पूर्नावचार करना चाहिये कि हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं। अभी तो इसमें धन का ग्रपव्यय होगा भौर केवल ज्यापारी ही इसका लाम उठावेंगे।

इतना सब करने के बाद आपने इसमें नम्बी चौड़ी सूची और मिला दी है ।
Rubber, portland cement, coir, fibre, textile, paper pulp आदि, ये सब बीज आपने इसमें मिला दी हैं भौर सब की व्यवस्था कर दी है कि ये हमारे स्टोर में ला कर के रखी जाय, मगर फिर भी आप के यहां पर लोग रखने नहीं आये । मिनिमम 35 परसेंट और मेक्सिम 53 परसेंट तक सामग्री रखने की जो व्यवस्था थी, केवल उतना प्रतिशत ही उपयोग में आ सका । इसका क्या कारण है ? यह भी हो सकता है कि आपके जहां पर वेयरहाउसेंच बनाये गये हों, वे पोलिटिकल प्रेशर से बनाये गये हों, मगर पोलिटिकल प्रेशर से बनाये गये हों, समर पोलिटिकल प्रेशर से सामान आ

करके इकटठा नहीं होता है। पोलिटिकल प्रेशर से भाग विल्डिंग खडी कर सकते हैं. पोलिटिकल प्रेगर से भ्राप किसी एम० एल० ए० को खग कर सकते हैं, पोलिटिकल प्रेगर से ब्राप वहां के वोटर को खश कर सकते हैं. मगर पोलिटिकल प्रेशर से वेयरहाउस में सामाने बाने वाला नहीं है । इसलिये यह भी विचार करना होगा कि जिस जगह किसी चीज की मांग हो, उसी स्थान पर हम वेयर-हाउसे बनायें भीर उसी कैपेसिटी के बनायें। यह मांग धीरे धीरे बढेगी, इस दृष्टि से धाने का माजिन रख करके भी बनायें, नहीं तो भाप कह देंगे कि 1964 में इतनी काफी थी और 1965 में और कैपेसिटी चाहिये। तो यह माजिन हम को रखना ही पहेगा। मगर हम इसका श्रधिक से श्रधिक उपयोग ने सकें, इस दिष्ट से जब तक हम कदम नहीं उठाते, तब तक हम चाहे जितने अमेंडमेंट कर लें, एक के बजाय हम दस बिल पास कर लें. हमारा जो मल लक्ष्य है कि काम्तकार शत प्रतिशत अपना माल ला करके हमारे वेयर-हाउसेज में रखें, वह परा होने वाला नहीं है। इस तरह जब तक वह लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तब तक ये ग्रापकी फालतू बातें हैं, बेकार का समय भी लेना है, भीर इसमें काम्तकारों के नाम पर व्यापारियों का ही काम चलता रहेगा, जो कि देश के हित में नहीं है, देश को नकसान पहुंचाने वाला है और हमारी देवरी को नकसान देने वाला है। अगर आपको इसे केवल व्यापारियों के लिये ही करना है, तो धगले बैलेंस शीट में हमारे यहां पर घाटा नहीं ग्राना चाहिये और ग्रगर घाटा ग्राया, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी धार उसको जवाब देना होगा।

SHRI N. PATRA (Orissa): Madam Vice-Chairman, I rise to support this good piece of legislation. It ought to have come long before. Till today the producer, the agriculturist, had been exploited by the agents of foreign traders. There are a larg\* number of tobacco producers in th\*

[Shri N. Patra.] country. They never got an appor-tunity of selling their produce at reasonable price which is a foreign exchange earner. Now of course the Central Government has already obtained the permission, of the State Legislatures through the resolutions passed in the respective Assemblies authorising the Central Government to bring this piece of good legislation here. The Burai Economic Survey Committee has recommended a scientific method of building a large number of warehouses in the country and to man them with specially qualified staff. The reason was to keep the articles under controlled prices and at times to give them also protection. When there is, say, any surplus of production, the agriculturists may be affected, when there is a slump in the market. At that time warehouses are quite a necessity. At that time if there is no trader, Government can invest some money and purchase those articles and store them temporarily till promised prices are expected.

Warehousing

In the Central sector there are 85 warehouses. Of course in the States there are about 500 warehouses and also "some smaller types of warehouses. We have passed the Food Corporation Bill the number and type of warehouses are such that "only 12 per cent of the foo3 "'prSctucTs' are allowed to be kept. Now there was some complaint here that the capacity of these warehouses is not being utilised. I do nor^thfnk" since we have taken \xp the purchase of food products there will be any occasion of extra capacity being Teff unutilised. It is now expected that Government should rive to the occasion to have warehouses not only near the railheads or harbour places but they have to implement a scheme of warehouses by which at every Block centre there should be a warehouse. There should be a warehouse in every block area. It covers a population ol about 60,000 people, mostly agriculturists. Therefore, to help them, to come to their r«seue, Central Government

should initiate the building of warehouses in every block area. Generally, our country is a poor country. Only the well-to-do people can afford to have good cement or brick houses, better-built houses. But you will find generally that the agriculturists in the mofussil living in mud, in thatched houses. Even temporarily keeping their produce there will mean a great loss, it is being eaten by rats. To help the agriculturists the Government should initiate ai programme of having warehouses in every block centre.

With these words, I support the Bill.

شرى عبدالغنى (پنجاب) : ميدم - مجهد خوشي هے که اون "کا "يه آئیڈم بدایا گیا - اس سے کسانوں کو فائدة هو يا نه هو - كيون كه ديوكي نددن نرائن جی کی تقریر کے كوئى بات باقى نهيس رهتى -پچاسی ویر هاؤسیز اس سارے میں سارے دیس میں کیا کریں [گے جَهاں ۷۵ فی صدی آبادی کسانوں کی هے . . لیکن سجھے خوشی اس کا فائدہ یہ ہو کہ استيل مين بهت زياده هيا بوہتا چلا گیا ہے اور جس کے چا ارب تک پہنچ جانے کا اندازہ کیا ھے اس میں کچھ کمی اِآئے۔ اور ہمارے منو بھائی شاہ اور تی كرشدماچان كى غلط يالمسى كا كوئى تدارک هو سکے - که جو کروروں روپهه هر مهیله هیدن ملی میں چلا ھے وال کم ھو -

اوں یہاں سے باعر جاتی ہے -بہت کم قیمت سیس اور آتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ قیمت میں اور دی جاتی هے ورستد پارن اسهیننگ ملوں کو - اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ملک کی بریادی هوتی هے اور جیسا که آبے هاؤس ميں بذايا گيا - فويب لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا کیوں که مل والے چھوٹے چھوٹے ھینڈی کرافٹ -والوں کو یاری نہیں دیتے۔ اس لئے سرکار اس کو تھیک تھنگ سے استعمال کوے چاہے سرکار کی ضرورت ہو یا عوام کی میں میدم - یہ مانلے کے لئے تیار نہیں هوں که هماری اوس جو راج ستهان میں اور کشمیر میں پیدا ہوتی ہے اس سے بهتو کپوا تیار نهیں مو سکتا – یہ بات الگ ہے کہ راجستھاں سرکار اور کشمیر سرکار نے عقد "سرکار سے ایسی اجازت نههی چاهی کیوں که شیدولد میں ان کا نام نہیں ہے لیکن یہ سپے ھے کہ آج بھی ھماری جو اون الکل ناقص سمجھی جاتی ہے اس سے ھی ايسا عمدة كيوا لدهيانة مهن تبار هوا ہے کہ اس نے امہورٹڈ رول کو بھی مات کر دیا ہے – مستر رکھوناتھ سوھنے اور امولکھ رام کپور نے معاهدة کرکے ردی سے ردی وول کو جو خوار تھی جو ضائع هوتي تهي اس سے انہوں نے بہترین کہوا تیار کرکے ہوزری کے کام کو سنيهال لها هے - تو جب ايسى بات هو سکتی هے تو پهر هم کيوں

کروروں روپیم هیڈی ملی کی شکل میں بدلیں - میری صرف ان سے ایک درخواست هے - وقت کافی کم هے - که عماری جو یه ویر هاؤسیز هين ان كي يه حالت نه هو كه چاه تويدرس هون يا نه دون ايک سولاري طور پر کرایه ۲ کودام هو - ایسی حالت نه هو جيسي كه بلكون كا غلط استعمال کرکے کیا گیا که رکھتے خواہ کچه بهی نهین هیں اور ایکسپورت میں بھی ایسا ھی ھوا ھے کہ ردبی سے ردی کیوا باهر بهیجا جاتا هے اور اس کے بدال میں سروکا سے امہورے لأسلس لے لیتے هیں اس لئے ایسا نه هو که بلکوں والی بات اور همارے کاموس منستر والى بات كه ايكسهورة كرنے جاؤ پاھے ردی ہے ردی چیز ھو - کلهرنس سارقیفکت ملے یا نہ سلے ایکسهورت لالسنس دے دو تاکم ایکسیورے اور امهورت کو بوهاتے جاؤ – اس مهن بھی یہ سوچنا چاہے کہ بے اہمانی نہ ہو کیوں که اون اور تمباکو بچی قیمتی چیزبی هیں - ان میں بھی نے ایسانی شروع کر دیں اور کارپوریشن سے روپیہ لیس اور کارپوریشن کے سمبووں کو جهسا کہ دیوکی نددن نوائن جی نے کہا کوئی مرے یا جیئے سسرا گھول بتاشا يئے - دائويكٽر كو ةيويدنت ملما هي

کارپوریشن کا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے -یت ویر هاؤسنگ کارپوریشن جو بنایا هے

(Sv,pplcmentary) Bill, 1964 ليكن يه ميري سمجه مين نهين انا که ایسی طرف سرکار کیوں روپیه لکاتی ہے جس سے نیک نامی کی بحائے بدنامی ہو - آپ نے میڈم - سلا ھو کہ استیٹس کی بھی ویر ھاؤسز هيں وهاں چوہے تو پوتے هيں ليكن دو تانکوں والے چوفے بھی پوتے ھیں اور جب موسم بدلے - چاھے برسات کا موسم جب غله كا وزن برهنا چاهئے چاهے ساون هو يا بار هو هو ليكن وهاں قصة يه هے كه توتلے هى قوتا هے -ملستر صاهب اور ديتي ملستر صاحب جو ہوے هي نيک دل هين ولا خود هي اس مهي جائين گے کیوں کوئی فائدہ کسان کو نہیں ہو رها -? اگر کسان کو فائدہ نہیں ہو رها هے تو پهر فوق کار دريشن کو هي دے دیجئے یہ ویر سیر - هاؤیوں که ولا کر تی لاکھی تی غلم باھر سے ملكا رهے هيں اور يہاں غريدنے كا أرادة ركهتے هيں - فوة كارپوريشن أور

†[भी भव्दल सनी (पंजाब) : मैडम, मुझे खुशी है कि ऊन का यह ग्राइटम बनाया गया । इससे किसानों को फायदा हो या न हो--वसोंकि देवकीनन्दन नारायण जी की तकरीर के बाद कोई बात बाकी नहीं रहती। और पचासी वेयर हौसिज इस सारे मुल्क में, सारे देश में क्या करेंगे जहां 75 फी सदी आवादी किसानों की है। लेकिन मुझे खुशी है। ग्रगर

سرکار مل کر اس کو استعمال کرین

تاکہ بجائے توتے کے فائدہ ہو - تھلک

בר פצוע חק -

†[ ] Hindi transliteration

## [شرى عبدالغذي

تهیک هے لیکن سرکار اس کا جواب کیا دے پائے کی کہ آج ملک میں کسان کی حالت تو بد سے بدتر هوتی چلی جا رهی هے اس کو اس کا سات في صدى فائده يهلجا هـ - سركار قابل سهارک باد هے که ولا کسان کا زام لے کر وہو ہائسدگ کی اسکیم بدائی هے لیکن کسان کو قائدہ نہیں پہلججتا۔ تو ميقم - وائس چيرمين - هماري لئے یہ مشکل ہو جائے کا که هم یه بوداشت کویں - یارلهمذے کے دونوں هاؤس یه برداشت کرین که آئے دی بلیک منی بوهتا جلا جائے اور غلط آهمهوں اور ہے ایمان، آدمهوں کی ترقى هوتي چلي جائے - هم تو اس وقت ادادتاً اس بات كو نهين چهيونا جاهتے هیں - ابهی پاکستان سے دو دو هاته هو جائدن - پهر هم هاؤس سين کھلے بندوں آئیں گے کہ کس طحے ان دونوں منستروں کی غلط پالیسی سے لوگوں نے کروڑھا روپیہ سے ھاتھ ونگے ههن اور کس طرح به هیدن مدی چالیس ارب سے بھی بچھ گیا۔ اوو اس پر کھوں یہ سرکار ہاتھ نہیں دولتي - ليكن ابهي يه همارا مضمون نہیں ہے کچے دیر بعد آئیں گے - اس وقت تو صرف ویر هاؤسز کی بات ہے -میں مبارک باہ دیتا عیل کہ انہوں نے اجارت دے دی - کیوں نه تمباکو جو ييدا كرتے عين إن كو سويدها هو - اور، والوں کو لاکھ مالوں کو سویدھا ملے -

इसका फायदा यह हो कि जो ऊन और स्टील में बहुत ज्यादा हिइन मनी बढ़ता चला गया है जिसके चालीस अरव तक सही जाने का अन्दाजा किया जाता है। इस में कुछ कभी आए और हमारे मनुभाई शाह और टी० टी० कुष्णमाचारी की गलत पालिसी का कोई तदारक हो सके। कि जो करोड़ों रुपया हर महीने हिइन मनी में चला जाता है वह कम हो।

Warehousing

ऊन यहां से बाहर जाती है। वहत कम कीमत में और श्राती है उससे कई गुणा ज्यादा कीमत में श्रीर दी जाती है बुसंटेड यार्न स्पिनिंग मिलों को । इससे यह नतीजा निकलता है कि मुल्क की बरबादी होती है श्रीर जैसा कि स्राज हाउस में बताया गया गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं पहंचता क्यांकि मिल वाले छोटे हैंडीकापट वालों को यार्न नहीं देते । इसलिए सरकार उसको ठोक ढंग से इस्तेमाल करेचाहे सरकार की जरूरत हो या ग्रावाम की । मैं, मैडम, यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारी ऊन जो राजस्थान में श्रीर काश्मीर में पैदा होती है उससे बेहतर से बेहतर कपड़ा तैयार नहीं हो सकता। यह बात ग्रलग है कि राज-स्थान सरकार और काश्मीर सरकार ने हिन्द सरकार से ऐसी इजाजत नहीं चाही क्योंकि शेडयल में उनका नाम नहीं है लेकिन यह सच है कि ग्राज भी हमारी जो **ऊन बिल्कुल नाकस सम**भी जाती है उससे ही ऐसा उम्दा कपड़ा लिधयाना में तैयार हम्रा है कि इसने इम्पोरिड बल को भी मात कर दिया है। मिस्टर रघनाथ सोहती और श्रमोलक राम कपूर ने मुश्रायदा करके रही से रही बुल को जो ख्वार थी जो जाया होती थी उससे उन्होंने बेहतरीन कपड़ा तैयार करके होजरी के काम को संभाल लिया है। तो जब ऐसी बात हो सकती है तो फिर हम क्यों करोड़ों रुपया हिडन मनी की शकल में बदलें । मेरी सिफ उनसे एक दरस्वास्त है-वक्त काफ़ी कम है--कि हमारी जो यह बेयर हाउसिज हैं उनकी यह हालत न हो कि

चाहे देडसंहों या न हों एक सरकारी तौर पर कराये का गोदाम हो-ऐसी हालत न हो जैशी कि बैंकों का गलत इस्तेमाल करके किया गया कि रखते ध्वाह कुछ भी नहीं हैं और एक्सपोर्ट में भी ऐसा ही हुआ है कि रही से रही क्षण्डा बाहर भेजा जाता है ग्रीर उसके बदले में सरकार से इम्पोर्ट लाइसेंस ले लेते हैं। इसलिए ऐसा न हो कि बैंकों वाली बात ग्रीर हमारे कामसं मिनिस्टर वाली वात--कि एक्सपोर्ट करते जाओ चाहे रही से रही चीज हो, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिले य न मिले। एक्सपोर्ट नाइसेंस दे दो ताकि एक्सपोर्ट ग्रीर इम्पोर्ट को जाधो । इसमें भी यह सोचना चाहिए कि बेईमानी न हो क्योंकि ऊन ग्रौर तम्बाक बडी कीमती चीजें हैं। उनमें भी बेईमानी शुरू कर दें ग्रौर कारपोरेशन से रुपया लें ग्रीर कारपोरेशन के मेम्बरीं को जैसा कि देवकीनन्दन नारायण जी ने कहा कोई मरे या जिए, सुधरा घोल पताशा पिए डायरेक्टर को डिवीडेड मिलना ही है ।

कारपोरेशन का ग्राइडिया तो बडा ग्रन्छा है। यह वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जो बनाया है ठीक है लेकिन सरकार उसका जवाब क्या दे पायेगी कि ग्राज मुल्क में किसान की हालत तो बद से बदतर होती चली जा रही है, उसको इसका सात फीसदी फायदा पहुंचता है । सरकार काबिले मुबारकबाद है कि वह किसान का नाम लेकर वेयर हाउसिंग की स्कीम बनाती है लेकिन किसान को फायदा नहीं पहुंचता । तो मैडम, बाईस चेयरमैन, हमारे लिए यह मुश्किल हो जाएगा कि हम यह बर्दाश्त करें। पालियामेंट के दोनों हाउस यह बर्दाश्त करें कि ग्राए दिन ब्लैंक मनी बढता चला जाए चौर गलत श्रादमियों घौर बेईमान ग्रादिमयों की तरक्की होती चली जाए । हम तो इस वक्त इरादतन इस बात को नहीं छेड़ना चाहते हैं। ग्रभी पाकिस्तान से दो दो हाथ हो जाएं फिर हम हाउस में खुले बन्दों ब्राएंगे कि किस तरह उन दोनों मिनिस्टरों की गलत पालिसी से लोगों ने करोडहा रुपये

से हाथ रंगे हैं, और किस तरह यह हिडन मनी चालीस अरव से भी बढ़ गया और उसपर क्यों यह सरकार हाथ नहीं डालती। लेकिन धभी यह हमारा मजमन **न**हीं है कछ देर बाद हम उस तरफ ग्रांयेंगे। इस वक्त तो सिर्फ वेयर हाउसिस की बात है। मैं मबारक बाद देता हं कि उन्होंने इजाजत दे दी। क्यों न तम्बाक् जो पैदा करते हैं उनको मुविधा हो। ऊन वालों को, लाख वालों को बुविधा मिले लेकिन यह मेरी समझ में नहीं श्राता कि ऐसी तरफ सरकार क्यों रुपया लगाती है जिससे नेकनामी की बजाए बदनामी हो । ग्रापने मैडम, सुना होगा कि स्टेटस के भी वेयर हाउसिज हैं वहां चहे तो पडते हैं लेकिन दो टांगों वाले चुहे भी पडते हैं श्रीर जब भौसम बदले, चाहे बरसात का मौसम जब मल्ला का वजन बढना चाहिये चाहं सावन हो या भादों हो लेकिन वहां किस्सा यह है कि असाद ही असाद । मिनिस्टर साहब और हिप्टी मिनिस्टर साहब जो बडे ही नेक दिल हैं वे खद ही समझ जाएंगे कि क्यों कोई फायदा किसान को नहीं हो रहा ? अगर किसान को फायदा नहीं हो रहा है तो फिर फ इ कारपोरेशन को ही दे दीजिए यह बैयर हाउसिज । क्योंकि वे करोड टन, नाचों टन गल्ला बाहर से मंगा रहे हैं श्रीर यहां खरीदने का इरादा रखते हैं। फुड कार-पोरेशन और सरकार मिल कर उसको इस्तेमाल करें ताकि बजाए टोटे के फायदा हो। थैंक य, वैरी मच।]

Shri D. R. CHAVAN: Madam Vice-Chairman, a number of hon. Members have participated in this debate and a majority of them-practically every-oody—have supported the measure that is before us. A number of suggestions have been made and a number of points of criticism have also been made. And it is my bounden duty to reply to them.

The hon. ShrI Ruthnaswamy made .a point that there is inadequate

storage capacity in the country. May I tell him that under the scheme of the Act we have got Central Warehouses and State Warehouses? In addition, under the National Cooperative Development Corporation we have also a number of godowns in the rural areas to cater to the requirements of the cultivators in the country. I may point out to him how the capacity of the Central Warehouses has gradually increased since they were established. As a matter of fact, in 1957-58 when under the old Act the Central Warehousing Corporation was established, what was the capacity at that time and what is the capacity today? If these figures are taken into account, the hon. Member will see that the capacity has been gradually increasing in the sphere of Central Warehousing Corporation.

As regards the State Warehousing Corporations I will come to them later on. I may point out to the hon'ble Member that in 1357-58 the capacity that was created was only 7,000 tonnes. Starting from 7,000 tonnes in 1957-58 the capacity created in 1963-64 is 2-48 lakh tonnes.

Then, I may mention to the hon'ble Member that the warehouses of the Central Warehousing Corporation are generally established in centres or places which are of all-India importance while the State Warehousing Corporations are established at places which are of district or State importance. Let me give the hon'ble Member the capacity and the number of warehouses of the State Warehousing Corporations. The total number of warehouses is about 533 with a total capacity of 5-61 lakh tonnes. The hon'ble Member may be aware that for the use of the Food Corporation of India, the Central Warehousing Corporation has been entrusted with the task of constructing warehouses at 4 Centres in Madras and 16 or 17 centres in Andhra Pradesh. We are thus having a sizeable programme of putting up warehouses for the use of the Food Corporation of India. The

Corporations (SuvDlementary) Bill, 1964

total capacity thus created is likely to be 2 tonnes in Madras and j nearly 3:5 tonnes in Andhra : Pradesh at a iakh fotaT cost of a little j more than Rs. 9 crores. Therefore, I may submit to the Member that adequate storage hon'ble capacity is being gradually built up.

Warehousing

Madarn, it is not that the thing is being done just now. It is not only the Central and State warehouses which are building up the capacity, but there is also the programme to build up godowns in the rural areas by the National Co-operative Development Corporation in respect of their requirements of fertilisers and other things for the cultivators of the country.

Madam, another point that was made was concerning storage. May I tell the hon. Member that all the godowns or the waresouses that are being constructed under the programme of the Central State

Warehousing Corporations are being constructed on a scientific basis? They are all rodent-proof, rat-proof and damp-proof. In a number of godowns we have made provision for wooden crates and polythene sheets so that dampness from soil may not come and damage the grains.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): You can continue next time.

SHRI D. R. CHAVAN: I will finish in another three, four minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): YOU can continue next time. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

> The House then adjourned at four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 3rd September, 1965.